

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH NEW DELHI**  
Original Application No. 1124/2024

Ved Prakash

Applicant

versus

State of Haryana

Respondent


**INDEX**

S. No.	Particulars	Annex- No.	Page No.
1.	Joint committee inspection report		01-07
2.	Statements of Gram Sarpanch & other Members of Panchayat	01	08-19
3.	Letter of Head Master GGPS (14961) requesting for cutting of trees	02	20
4.	Forest Department approval documents for plants of GGPS	03	21-25
5.	Documents of auction of trees of GGPS through open bidding	04	26-27
6.	Correspondence of principal of GSSS for cutting of trees	05	28-33
7.	Forest Department approval documents to Principal GSSS	06	34
8.	Approval of 08 trees on Rasta Khasra No. 198 & 05 trees on Rasta Khasra No. 94	07	35-56
9.	Documents of auction of trees of GSSS by Principal	07 A	57-63
10.	Documents of auction of trees GSSS through open bidding	08	64-67
11.	Action of Forest Department on complaint of illegal cutting of trees from SC Chaupal and Case filing in Civil Court, Kanina	09	68-73

Filed By:

Date: 13.12.2024

Place: New Delhi



Rahul Khurana, Advocate  
Counsel for Respondent

**Joint Committee Inspection report in the matter of O.A No 1124 of 2024, in the matter of Ved Praksh Vs State of Haryana**

**1. Background:**

In this original application, the applicant has raised an issue of illegally felling of trees in village Rambas, Tehsil Kanina, District Mahendragarh, Haryana. The applicant alleges that Respondent No. 9 the Sarpanch of the village, along with her husband is involved in the unauthorized cutting of a number of trees which were on the common village road, Gram Panchayat land and other public spaces, including local schools, temple and Scheduled Caste Chaupal. The Plea is that the illegally cut trees include trees of Neem, Jat, Kikar and Ruhira and these trees have been cut without any sanction of the competent authority. Hon'ble NGT vide order dated 05/09/2024 directed as follows:

*"Learned Counsel for the applicant has referred to the photographs filed as annexure A-6 which indicates extensive felling of trees. Hence, we form a Joint Committee comprising of a representative of the Member Secretary, CPCB, DFO – Mahendragarh and DM Mahendragarh who will act as coordinating agency. The committee will ascertain the truthfulness of the allegations made in the O.A., the extent of the felling of trees, if any, that took place in village Rambas and the persons responsible for the same."*

**2. Compliance to Directions of Hon'ble NGT**

- a) To comply with the NGT's order, Office of District Magistrate vide letter 6808/Panchayat dated 24.10.2024 has appointed Sub Divisional Officer (Civil), Kanina, as the Deputy Commissioner's representative.
- b) Nomination of Shri Danish Meena, Scientist C as representative of CPCB was received vide letter dated 14.10.2024.
- c) SDM Kanina vide letter dated 05.11.2024 informed Joint committee members for participation in Joint Committee inspection on 08.11.2024.
- d) Following members of Joint Committee visited the site on 08.11.2024 in the presence of key stakeholders, including the complainant, Sarpanch, Panches, Gram Sachiv and other eminent citizens of the village.

S.no	Name	Department
1.	Amit Kumar , Sub Divisional Officer (Civil), Kanina	Representative of DM Mahendragarh
2.	Danish Meena, Scientist C, CPCB	Representative of the Member Secretary, CPCB

- e) As DFO/Officer representing DFO was not present during visit held on 08.11.2024, Joint committee visited the site again on 09.12.2024 in the presence of key stakeholders, including the complainant, Sarpanch, Panches, Gram Sachiv and other eminent citizens of the village. Joint committee interacted with stakeholders. The statement of key stakeholders are enclosed at Annexure- 1(I-XI)

### 3. Observations of the Joint Committee

#### I. Government. girls primary school:-

- School head master vide letter dated 14.12.2022, had requested Forest department for cutting potentially dangerous trees in the primary school (Annxure-2), which included 2 eucalyptus and 13 alenthus trees.
- Forest Division Officer vide letter dated 06.02.2023 has given conditional approval for cutting the trees by fixing the estimated price of the trees through letter number 6914 dated 06.02.2023(Annxure-3).
- The headmaster has informed that 15 potentially dangerous trees have been cut and auctioned on 18.02.2023, in the primary school with the help of the Panchayat and a part from this, no other trees have been cut 200 new trees have also been planted in the school premises. (Annxure-4).
- Satellite images comparison confirm decrease of tree cover.





Fig 1 Primary school satellite image in November 2022



## II. Government Senior Secondary School:-

- a. Principal had corresponded with letter no. 502/22 dated 14.12.2022 (Annxure-5), for cutting trees, which included 7 Alenthus trees.
- b. Forest Divisional Officer had given conditional approval for cutting trees by fixing the estimated price of the trees through letter no. 6912 dated 06.02.2023 (Annxure-6).
- c. Tree felling and auction of trees has been done under Principal supervision and the money received from the auction has been spent on getting the dual desk repaired and installing new ply boards and about 150 new trees have been planted in the school premises. Information submitted by principal is attached as Annexure-7A



Fig 3 Secondary school satellite image in April 2023 before tree cutting

### III. Village Roads and Public Places :-

- a. Permission for trees felling on village road was applied on 28.07.2023
- b. Approval for 08 Tress felling on Kh 198 and 05 Trees felling on Kh 94 was received on 29.01.2024 (Annxure-7).
- c. The trees were subsequently auctioned through open bidding on 18.04.2024(Annxure-8).




Fig 4. Satellite image of 24/04/2023 showing villages road at kh 198 and Kh 94 before tree cutting

#### IV. Tree Cutting in Temple Premises:-

The Joint committee visited the temple premises, observed satellite images, and found no evidence of tree cutting.




Fig 5 Satellite image of temple premises in February 2022




Fig 6 Satellite image of temple premises in April 2023

## V. Scheduled Caste Chaupal :

1. The Forest Officer informed that a complaint had been received on 10-07-2024 and a case was registered against the accused, Shri Prakash S/O Sh. Sardar Singh, on 31.07.2024 (DR 098/0593, (Annexure-9). The case, numbered WMA/41/2024, is currently sub judice in the Civil Court under sections 4 and 5 of the Punjab Land Preservation Act-1900.



Fig 7 Satellite image of SC Chaupal in April 2023

VI. Summarized status of observations are tabulated below:

S.No	Location	Date of permission and no of trees.	Date of Auction of Trees	Date/ Month of Trees cutting	Observations
1	Primary School	06.02.2023 for 15 Trees including 2 eucalyptus and 13 alenthus trees	18.02.2023	Feb-March 2023	Satellite image of 24/04/2023 confirm decrease of trees cover of in Primary School. Number of trees felling not identifiable due to low resolution/ close proximity of trees.
2	Secondary School	06.02.2023	22.08.2023	August 2023	No satellite image available after April 2023
3	Trees cutting village road	29.01.2024	18.04.2024	April 2024	No satellite image available after April 2023.
4	Temple premises	Alleged Illegal cutting of trees cutting in Dec 2022		Dec 2022	Satellite images February 2022 and April 2023 compared. No evidence of tree cutting observed in temple premises.
5	SC Chaupal	Illegal cutting of approx. 5 trees	Case registered on 31.07.2024 (DR 098/0593)		No satellite image available after April 2023.

4. Conclusion


- Permission for tree felling is obtained for 15 Trees in Primary School, 07 Trees in Secondary school, 08 trees on village road at Khasra No 198 and 05 Trees on village's road at Khasra number 94. Exact number of trees felling at primary school, secondary school and Villages road are not identifiable due to lack of satellite data and records.
- No illegal cutting of trees observed at Temple premises.
- Illegal felling of trees is recorded at scheduled caste Chaupal and case was registered against the accused, Shri Prakash S/o Sh. Sardar Singh, on 31.07.2024 (DR 098/0593).



Danish Meena,  
Scientist-C, CPCB



Sub Divisional  
Officer (Civil), Kanina



DFO Mahendergarh.

ब्यान श्रीमती सरोज देवी सरपंच ग्राम पंचायत रामबास खण्ड कनीना तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ ।

ब्यान किया कि खसरा न0 198 गैर मुमकिन रास्ता जिसमें 8 पेड व खसरा न0 94 गैर मुमकिन रास्ता जिसमें 5 पेड रास्ते के बिच में थे जिन्हे प्रमीशन लेकर काटने के लिए ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव न0 3 व 4 दिनांक 28/07/2024 को सर्व सहमती से पारित किये गये जिसके बाद वन मण्डल अधिकारी ने पृ0 क्रमांक 5752-53 दिनांक 30/01/2024 की रूह से खसरा न0 198 के बिच स्थित 8 पेडो को काटने कि अनुमती दी गई इस प्रकार वन मण्डल अधिकारी महेन्द्रगढ ने पृ0 क्रमांक न0 5750-51 दिनांक 30/01/2024 की रूह से खसरा न0 94 के बिच स्थित 5 पेडो को काटने कि अनुमती दी गई व प्राईमरी स्कूल रामबास में स्थित 15 पेडो को काटने कि अनुमती वन मण्डल अधिकारी महेन्द्रगढ ने पृ0 क्रमांक 6914 दिनांक 06/02/2023 की रूह से काटने कि अनुमती दी गई। उसके बाद उसी के अनुसार वन विभाग के नियमो को फोलो करते हुये नियमानुसार उपरोक्त पेडो को वन विभाग ने सर्वे में मार्क किये गये थे उन्ही पेडो को ब्यानदेहिन्दा ने नियमानुसार काटवाया गया था और उससे 10 गुणा पौधो का पौधारोपण किया गया था। ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार का कोई उल्घन्न ना किया गया बल्की शिकायतकर्ता ने रंजिश के बिनाह पर काफी समय बाद ब्यानदेहिन्दा के खिलाफ झूठी शिकायत दायर की जिसमें सच्चाई का कोई सरोकार वास्ता ना था।

RO & AC <sup>9</sup> सरोज देवी  
 सरपंच  
 सरोज देवी सरपंच  
 खण्ड कनीना ( म/गढ )  
 ग्राम पंचायत रामबास ।

  
 Sub Divisional Officer (G)  
 Kanina Distt. M.P.Garh

स्थान श्रीमंती सुमन देवी पंच ग्राम पंचायत रामवास  
 तप- कनीना जिला- गढ़-दुआह ward no 9

स्थान विधा कि खास नः 198 गैर मुभीकन  
 शास्त्र व खास नः 94 गैर मुभीकन शास्त्र के  
 बिचा में पैड़ के जिसके कारण अग्रभजन को  
 शास्त्र में आने जाने के लिए अवरोध पैदा  
 होता था इसलिए ग्राम पंचायत ने सर्वसहमती  
 से पुस्तक पारित करके वन मण्डल  
 अधिकारी से प्रमिशन लेकर सलिकत पैड़  
 को हमारी खासरी में हटवाया गया है  
 और लगभग 10 गुना खासदार व फलदार  
 पीछे खेतीजिक खाने पर लगवैष गैर  
 सत्य व दुष्प्रवृत्त है।

सुमन

  
 Sub Divisional Officer (C)  
 Kanina Dist. M/Garh

वधान सुनीता देवी पंच ग्राम पंचायत शमवाल  
 नं. - कनीना जि. - मेहरारू । ward No 9

वधान किया जाता है कि खलरा नं. 198 व खलरा नं.  
 94 गैर मुक्तिन शस्ता है उसमें शस्ता के बिना  
 पैड नों फिनको शस्ता में अवरोध पैदा किया  
 हुआ जा जिसके कारण ग्राम पंचायत ने स्वैच्छिकी  
 से पुनः पौरत करके वन मण्डल आविर्भावी  
 से पुनः पौरत लेकर शक्ति पैडों को हटाया  
 गया है जो कि हमारी दाखरी में हटाया  
 गया है वन विभाग के विधान अनुसार लगभग  
 10 गुणा पैड काटा जाये है जो सत्य  
 व सुनिता है।

सुनीता

  
 Sub Divisional Officer (C),  
 Kanina Distt. M/Garh

व्याज की राजी-पु. सिंह पंच ग्राम पंचायत राम बास  
 तं कनीवा लि. - महन्दा गढ़ word No. 5

व्याज किया कि स्वसंराग: 198 और मुसामिन  
 रास्ता व स्वसंरा ग: 94 और मुसामिन रास्ता में  
 बिच में पड़ने के लिए कारण रास्ता में  
 उभने जाने के लिए उबर रोद्य पदा होला था  
 इस लिए ग्राम पंचायत ने सर्व समरी से  
 प्रस्ताव पारित करके वन मण्डल अधिकारी से  
 प्रामिसन लेकर सावकत पडा को हमारी  
 हमारी में हटवाया गया है और नियमों को  
 पालन करने हुए लगभग दस गुणा पड़े  
 (सावधानिक सजागी पर लगवाए गए )

राजेश सिंह

Sub Divisional Officer  
 Kanina Distt. M/Garh

द्वयान सुशीला देवी पंच ग्राम पंचायत शम्बास एच-सीला  
 मिच-गद्दे-द्वारा, ward no 4.

द्वयान मिच ए मि खलरा नं: 198 व खसश नं:  
 94 जोर मुमकिन शस्ती मे निच मे पेड वी जिसेके कारण  
 शस्ती में आने जाने के लिये अनशेख पेदा होता  
 वा इमलिश ग्राम पंचायत ने सर्वसहमती से  
 पुस्तान पीरित करके वन मण्डल अधिकारी  
 से प्रमिशान लेकर आविकृत पेडा को हमारे  
 हाजरी में दहवाया गया है जोर निरपेक्षा  
 का पालन करते हुए लगनग 10 गुणा  
 पेड ग्राम पंचायत शम्बास के द्वारा  
 लगवा दिया है जो सत्य व दुरुस्त है।

*Sub*

Sub Divisional Officer (C)  
 Kanina Dist. M/Garh

सुशीला देवी

दफ्तान श्रीमती निर्मला देवी पंच ग्राम पंचायत रामवास  
 नं० कानीना जि०-मैथन-दुमराह ward No 8

दफ्तान किष्ण कि श्वसरा नं. 198 गैर मुमकिन  
 शस्ता न श्वसरा नं. 94 गैर मुमकिन शस्ता में बिच  
 में पैड नै जिलके कारण शस्ता में आन आन के  
 लिए अवशेष पैदा होता था इसलिए ग्राम  
 पंचायत ने अवशेषों से पुस्ताव पारित  
 करके वन मंडल अधिकारी से प्रमिशन लेकर  
 शक्ति पैदा को हमारी हाजरी में दखला  
 गया है जो सत्य दुखलाई और निपटो का  
 पालन करते हुए 10 गुणा पैड ग्राम पंचायत  
 रामवास के दुर्य लगवा दिने है।

(निर्मला देवी)

  
 Sub Divisional Officer (C)  
 Kanina Distt. M/Garh

बिना सीमती गिफ्टी देवी पंच ग्राम पंचायत रामबाल  
 ल०-कनीना - डि०-महेन्द्राष्ट ward No 6.

बिना विकास कि आदेश नं: 198 गैर मुद्रित  
 आदेश व आदेश नं: 94 गैर मुद्रित आदेशों  
 में बिना में पैड के लिए मांग राशि में आने-  
 जाने के लिए आदेश पैदा होता था इसलिए  
 ग्राम पंचायत ने सर्वश्रेष्ठी वन मंडल अधिकारी  
 का प्रमिशन लेकर सविहता पैड को हमारी  
 धाजरी में हटावा दिया गया है और ग्राम  
 पंचायत ने गांव में सांख्यिक स्वामी पर  
 10 गुणा पैड लगावा दिए है और पैडों के  
 पैडों के दो भाग लेकर कर दिए है जो  
 सत्य व सुस्पष्ट है।

Rinky

  
 Sub Divisional Officer (C),  
 Kanina Distt. M/Garh



*[Handwritten signature]*

द. न. 1214

Om Parkar

Overseer

*[Handwritten signature]*  
राजेश

*[Handwritten signature]*  
Maheshwari

राजेश

राजेश

उ. शिवाजी

राजेश

राजेश

राजेश

राजेश

राजेश

*[Handwritten signature]*

राजेश

*[Handwritten signature]*  
Sub Divisional Officer (C)  
Kanina Dist. M.G. Sarh



में धर्मनृ बुधाल मुख्य शिक्षक रा. क. ज. पा. रामबास  
 खण कनीन में कार्यरत हैं। मैं ब्याग करता हूँ कि  
 स्कूल में 13 पेज Alenthu जो 2 पेज सफेदा कुल  
 15 (पन्ड) पेज काटे गए हैं। रिपोर्ट आपकी सेवा में  
 उपरि है।

धर्मनृ बुधाल

HEAD TEACHER 08/11/24  
 Govt. Girls Primary School  
 Rambass (14961)  
 Block - Kanina (M. Garh)

धर्मनृ बुधाल  
 8/11/24  
 Sub Divisional Officer (C)  
 Kanina Distt. M/Garh

प्रेषक :- कार्यालय मुख्य शिक्षक रा०क०प्रा०पा०रा०रामबास कनीना मण्डल  
 प्रेषित :- ज्ञानेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश (हरिजन) V.P.O. रामबास  
 दिनांक - 24.09.2024

विषय :- RTI Act 2005 के तहत मांगी गई सूचना बारे ।  
 उपरोक्त विषय के अन्तर्गत मांगी गई सूचना का  
 ज्योरा निम्न है :-

पंचायत द्वारा प्राइमरी स्कूल के पेड़ों की कटाई  
 की राशि स्कूल प्रबंधन को नहीं मिली और इस  
 राशि का कोई भी विवरण स्कूल रिकॉर्ड में  
 नहीं है। सूचना आपको प्रेषित है।

ज्ञानेन्द्र पुत्र

**HEAD TEACHER**

Govt. Girls Primary School

Rambass (14961)

Block - Kanina (M.garh)

From  
To G.B.P.S. RAMBASS (14961) Block Kanina Distt. M.Gadh  
District Forest officer (M.Gadh) 14.12.2022  
Sub:- To Take permission for Big Trees which are harmful to school boundary & building.

R/Sir

It is certified that there are 15 big trees in Govt. Girls Primary Rambass (14961) Block Kanina (M.Gadh). They can be harmful to school building & school boundary whose detail is given below -

SrNo	Name of Tree	No. of Trees	may be harmful for
1.	कड़वे गीम (Alunthus)	13.	Boundary
2.	साधे दे	02	water Tank & Building

So please allow to cut the above trees by

Gram Panchayat Rambass.

Copy to  
Sarpanch  
Gram Panchayat Rambass.

Dharmender [Signature]  
14/12/22  
Govt. School  
Block

79

कार्यालय:- वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय:- वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़  
फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़

दूरभाष:-01285-220173 ई-मेल rfomgarh@yahoo.co.in

क्रमांक:-1176

दिनांक:- 20/01/2023

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़।

विषय :- स्कूल बाउंड्री के खतरनाक पेड़ों को हटवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि गांव रामबास के राजकीय माध्यमिक पाठशाला के मुख्यध्यापक ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला रामबास के प्रांगण में खड़े अलैथस व सफेदे के वृक्षों को हटवाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र गांव सरपंच के माध्यम से इस कार्यालय में भिजवाई है। महोदय उक्त वृक्ष स्कूल की बाउंड्री में काफी पुराने हैं इसलिए इनके टूटने/गिरने का खतरा बना रहता है जिससे जानभाल को नुकसान होने का अंदेशा है इसलिए उक्त वृक्षों को हटवाने चाहते हैं। यह आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलग्न :- बाधक वृक्षों की मार्किंग सूची।

वन राजिक अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़।

Sale  
24/1/23

3221  
24/1/23

From  
 of G.G.P.S. RAMBASS (14961) Block Kamina Distt- M.Gadh

To District Forest officer (M.Gadh)

14.12.2022

Sub:- To Take permission for Big Trees which are harmful to school boundary & building.

R/Sir

It is certified that there are 15 big trees in Govt. Girls Primary Rambass (14961) Block Kamina (M.Gadh) They can be harmful to school building & school boundary whose detail is given below -

SrNo	Name of Tree	No. of Trees	May be harmful for
1.	कड़वे नीम (Alunthus)	13.	Boundary
2.	खमड़े	02	Water Tank & Building

So please allow to cut the above trees by

Gram Panchayat Rambass.

Copy to

Sarpanch

Gram Panchayat Rambass.

Dharmender Kr

HEAD TEACHER  
 Govt. Girls Primary School  
 R.  
 Block - Rambass

14/12/22

श्रीमान श्री दत्त जी ग्राम पंचायत रामवास लेटर  
 नं० 14-12-2022 को मध्यमतर स्तरीय शरणा दृष्ट मोके  
 निरक्षण क्रिया तथा जिलेके स्कूल बंगला को परीक्षण  
 पैड ले नुकसान व एक दारी दोनो किं पुरी (न/का/का)  
 के रहे हे उपरोक्त दर शरणा- मन्त्री व सुक लहे आतः  
 उपरोक्त पैड को कचराने का परमिशन- डिप्टा एजेन्स

रमेश देवी

सरपंच  
 ग्राम पंचायत, रामवास  
 खण्ड कनीना ( म/मव )

S/N.	SPP	City.	Class	Remarks
1	समदा	155	II B	Green.
2	- do -	150	II B	- do -
3	अमलमह	139	II A	- do -
4	- do -	165	II B	- do -
5	- do -	175	II B	- do -
6	- do -	155	II B	- do -
7	- do -	111	III	- do -
8	- do -	126	II A	- do -
9	- do -	170	II B	- do -
10	- do -	120	II A.	- do -
11	- do -	133	II A	- do -
12	- do -	137	II A	- do -
13	- do -	107	III	- do -
14	- do -	115	III	- do -
15	- do -	130	II A	- do -

ABSTRACTS.

SPP	I	II	III	II A	II B	IA	IB	Total.	Volume
समदा	-	-	-	-	2	-	-	= 2	= 5.4
अमलमह	-	-	3	6	4	-	-	= 13	= 16.47
Total.	0	0	3	6	6	0	-	= 15	21.87 m <sup>3</sup> .

Report

श्रीमान् जी,

GP-3 → 28.272483  
76.216148

उपरोक्त भूमि में कुनि लडकिंगो के सुझाव के हवाले से,  
अंत में आस्ट्रेट भाई राम लाल रामबाहू के प्लॉट  
के साथ जोड़ने पर जोकर बनाई है हवाले के लिये  
क विमल सही हो।

सरपंच  
ग्राम पंचायत, रामबास  
खण्ड कानोना (M.Garh)

सरोज देवी

Syadon Py

06/01/23  
HEAD TEACHER  
Govt. Girls Primary School  
Rambass (24961)  
Block - Kanina (M.Garh)

Report

Range Officer  
Mohindernah

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़ वन मण्डल, महेन्द्रगढ़  
फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़ ।

दूरभाष/फैक्स: +91 01285 220229, ई-मेल: dfomgarh@yahoo.co.in

क्रमांक: 6913

दिनांक: 06-02-23

सेवा में,

मुख्याध्यापक,  
राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला,  
खण्ड कनीना, जिला महेन्द्रगढ़ ।

विषय: स्कूल याऊंडरी के खतरनाक पेड़ों को हटवाने बारे ।

सन्दर्भ: आपका पत्र दिनांक 14.12.2022.

उपरोक्त विषय के सम्वन्ध में सूचित किया जाता है कि राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला की याऊंडरी में खतरनाक वृक्षों को हटवाने की स्वीकृतिवारे, वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़, ने मार्किंग सूची इस कार्यालय में भेजी है वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार से है ।

ABSTRACT

Name of Species	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	TOTAL	VOLUME
Euc.	0	0	0	0	2	0	0	2	5.40
Ailnthus	0	0	3	6	4	0	0	13	16.47
Total	0	0	3	6	6	0	0	15	21.87

उपरोक्त वृक्षों की कुल अनुमानित कीमत 26852/-रुपयें (छब्बीस हजार आठे सौ बावन रुपयें) निर्धारित की जाती है । इन वृक्षों की कटाई का कार्य आप अपने स्तर पर करें तथा इन वृक्षों की एवज में तीन गुणा पौधारोपण करवाना सुनिश्चित करें ।

पृ० क्रमांक : 6914

दिनांक : 06-02-23

वन मण्डल अधिकारी  
महेन्द्रगढ़  
25/1/2023

एक प्रति वन राजिक अधिकारी महेन्द्रगढ़, को उनके पत्र क्रमांक 1176 दिनांक 20.01.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

वन मण्डल अधिकारी  
महेन्द्रगढ़  
25/1/2023





सेवा में,

जिला वन अधिकारी  
महेन्द्रगढ़।

क्रमांक - 502/22  
दिनांक - 14.12.2022

Annexure-5

विषय :- विद्यालय में परिपक्व भवन को सफ़ा करने वाले (Allunthus - रुखा नीमों) को कटवाने की अनुमति पत्र।

महोदय,  
उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको लिखा जा चुका है कि हमारे विद्यालय में लगभग 30 रुखे नीम (Allunthus) के पेड़ उम्र पर परिपक्व हो गए हैं और विद्यालय भवन व चारदीवारी के बीच कम जगह में उगे हुए हैं जिससे विद्यालय भवन में धरारे आ गई हैं और उनका भवन के ऊपर गिरकर क्षतिग्रस्त करने का खतरा लगभग बना रहता है। विद्यार्थियों की कक्षाएं कमरे के लगने के कारण हमेशा धारीला और झाँधी के मौसम में भवन व जान माल की हानि का खतरा बना रहता है। आपसे विवेदन है कि उक्त पेड़ों को पंचायत के माध्यम से या अन्य कोई जो वन विभाग के अन्तर्गत आता है, कटवाने की अनुमति पत्र करें। ताकि जान माल की हानि से बचा जा सके। उक्त विषय में एक प्रति सरपंच, ग्राम पंचायत रामबास को भी प्रेषित की जाती है ताकि ग्राम पंचायत भवन व पेड़ों का आवलोकन करके उचित कार्रवाही पंचायत के माध्यम से भी वन विभाग के पास भेजी जा सके। सूचना आपकी सेवा में अग्रिम आभार प्रकट करने हेतु प्रेषित है।

Copy to :-

- 1. सरपंच, ग्राम पंचायत रामबास

*[Signature]*  
14.12.2022

PRINCIPAL  
GSSS Rambass (3895)  
Kanina (M/Garh)

श्रीमान् को  
 ग्राम पंचायत कार्यालय नै लोहरा, भाद  
 नं: 562/22 दि 14-12-22 को मध्य रात्रि 22 बजे सुप्त  
 स्थिति में निरीक्षण किया गया उपरोक्त 2011-12 में  
 विद्युत डूरे वाले नहीं ल डुकाल पाई गई थी।  
 पौरपत्र पेश को मरवाने का प्रीमीशन दिया जाये,

शरीज देवी

सरपंच

ग्राम पंचायत, रामधाम

खण्ड कर्ना (म/म/१)

कार्यालय:- वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय:- वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़  
फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़

दूरभाष:-01285-220173 ई-मेल rfomgarh@yahoo.co.in

क्रमांक:- 1177

दिनांक:- 20/01/2023

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़।

विषय :- स्कूल बाउंड्री के खतरनाक पेड़ों को हटवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि गांव रामबास के GSSS रामबास के प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल के प्रांगण में खड़े अलैथस के वृक्षों को हटवाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र गांव सरपंच के माध्यम से इस कार्यालय में भिजवाई है। महोदय उक्त वृक्ष स्कूल की बाउंड्री में काफी पुराने हैं इसलिए इनके टूटने/गिरने का खतरा बना रहता है जिससे जानमाल को नुकसान होने का अंदेशा है इसलिए उक्त वृक्षों को हटवाने चाहते हैं। यह आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंगन :- बाधक वृक्षों की मार्किंग सूची।

वन राजिक अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़।

Sale  
24/1/23

3222  
24/1/23

S/No	SPP	Girth	Class	Remarks
1	अमृतमहा	185	IA	Green
2	-do-	117	III	-do-
3	-do-	129	IIA	-do-
4	-do-	82	IV	-do-
5	-do-	125	IIA	-do-
6	-do-	76	IV	-do-
7	-do-	65	IV	-do-

ABSTRACTS.

SPP	I	II	III	IIA	IIB	IA	IB	Total	Volume
अमृतमहा	-	3	1	2	-	1	-	7	6.07m <sup>3</sup>

श्रीमान् जी,  
 उपरोक्त लीमिटर स्कैन्ड्री स्कूल के द्वारा की गयीं  
 सुविधि में Principal कोट गाम फ्लोप्लेस रामबास के  
 पत्र के माध्यम से मांग की गई है और कृपया  
 इस मांग को निम्न तरीके से

Reply

GPS 28-268975  
 76-317245

सरपंच  
 ग्राम पंचायत, रामबास  
 खण्ड कनीला (म/गढ़)

सारीता देवी



*[Signature]*

Principal  
 G.S.S. Rambasa (3895)  
 Kanha (Mahendergarh)

Syadar. Aj.

*[Signature]*

Range Officer  
 Mohindergarh



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़ वन मण्डल, महेन्द्रगढ़  
फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़ ।

दूरभाष/फैक्स: +91 01285 220229, ई-मेल: dfomgarh@yahoo.co.in

क्रमांक: ..... 6911 .....

दिनांक: ..... 06-02-23 .....

सेवा में,

प्राचार्य,  
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,  
कनीना, जिला महेन्द्रगढ़ ।

विषय: स्कूल बाऊंडरी के खतरनाक पेड़ों को हटवाने बारे ।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्रमांक 502/22 दिनांक 14.12.2022.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, की बाऊंडरी में खतरनाक वृक्षों को हटवाने की स्वीकृति बारे, वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़, ने मार्किंग सूची इस कार्यालय में भेजी है वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार से है ।

ABSTRACT

Name of Species	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	TOTAL	VOLUME
Ailnthus	0	3	1	2	0	1	0	07	6.07
Total	0	3	1	2	0	1	0	07	6.07

उपरोक्त वृक्षों की कुल अनुमानित कीमत 7185/-रुपयें (सात हजार एक सौ पिच्चासी रुपयें) निर्धारित की जाती है । इन वृक्षों की कटाई का कार्य आप अपने स्तर पर करें तथा इन वृक्षों की एवज में तीन गुणा पौधारोपण करवाना सुनिश्चित करें ।

पृ० क्रमांक :

6912

दिनांक : 06-02-23

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़  
25/1/23

एक प्रति वन राजिक अधिकारी महेन्द्रगढ़, को उनके पत्र क्रमांक 1177 दिनांक 20.01.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़  
25/1/23

Annexure-6

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़ वन मण्डल, महेन्द्रगढ़

फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़ ।

दूरभाष/फैक्स: +91 01285 220229, ई-मेल: [dfomgarh@yahoo.co.in](mailto:dfomgarh@yahoo.co.in)

क्रमांक: .....

दिनांक: .....

सेवा में,

प्राचार्य,  
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,  
कनीना, जिला महेन्द्रगढ़ ।

विषय: स्कूल वाऊंडरी के खतरनाक पेड़ों को हटवाने बारे ।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्रमांक 502/22 दिनांक 14.12.2022.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, की वाऊंडरी में खतरनाक वृक्षों को हटवाने की स्वीकृति बारे, वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़, ने मार्किंग सूची इस कार्यालय में भेजी है वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार से है ।

## ABSTRACT

Name of Species	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	TOTAL	VOLUME
Ailnthus	0	3	1	2	0	1	0	07	6.07
Total	0	3	1	2	0	1	0	07	6.07

उपरोक्त वृक्षों की कुल अनुमानित कीमत 7185/-रुपयें (सात हजार एक सौ पच्चासी रुपयें) निर्धारित की जाती है । इन वृक्षों की कटाई का कार्य आप अपने स्तर पर करें तथा इन वृक्षों की एवज में तीन गुणा पौधारोपण करवाना सुनिश्चित करें ।

पू० क्रमांक :

6912

दिनांक : 06-01-23

—हस्ताक्षर—  
वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़ ।

एक प्रति वन राजिक अधिकारी महेन्द्रगढ़, को उनके पत्र क्रमांक 1177 दिनांक 20.01.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़ ।

Q-1573  
7/2/2023



प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमति  
Permission letter by  
Concerned Divisional Forest Officer  
हरियाणा सरकार / Government of Haryana



परिचालन अधिनियम, 1900 (1900 का संरक्षण का अधिनियम II) की धारा 4 के अधीन अधिसूचित भूमि में वृक्षों की कटाई की अनुमति।  
Permission for felling of trees in areas notified under general section-4 of Haryana Land and Preservation  
Act, 1900 (Punjab Act II of 1900).

Applicant Ashish Kumar located at village Rambas district Mahendragarh made  
a proposal to fell trees on this land with Khasra/ Plot number 94  
The report submitted by RFO, Narinder Kumar dated 13-01-2024.

CONDITIONS OF PERMIT

1. Only the numbered trees will be felled.
2. Trees to be felled will not be uprooted except in case of developmental works/ Individual plots.
3. No dragging of wood will be permitted.
4. Felling after sun set and before the sun rise will not be permitted.
5. No fire will be allowed.
6. No damage to unmarked trees will be caused during felling in the area and the owner will have to pay the compensation as determined by DFO for any such damage.
7. The owner of land shall be responsible for any illicit felling in the area and he will have to pay the compensation as determined by DFO for any such illicit felling.
8. No forest produce will be removed without a Rawana Challan from concerned Range Officer.
9. The permit is liable to be cancelled at any time if any violations of conditions of permit take place / facts given in the application for permit are found incorrect. The decision of DFO in this regard will be final.
10. The forest department does not hold any responsibility for distribution of sale proceeds among the owners of the land.
11. No separate permit for timber transit as per Indian Forest Act, 1927 is required within the territory of Haryana.
12. Permission is granted as per recommendation of DFO subject to the condition that the user agency will plant 5 times number of plants i.e. 5x5=25 plants and submit the land plan.



Date: 29-01-2024  
Place: Mahendragarh

Rohtash Singh  
(Divisional Forest Officer)

This is a Digitally Signed Certificate and does not require physical signature. The authenticity of this certificate can be verified from the verification link mentioned below.

<https://164.100.137.243/services/mobileapi/verify/forest/MOLDQLB8HH>

पृ० क्रमांक

5750-51

दिनांक 30-01-2024

एक प्रति निम्न को:-

श्री आशीष कुमार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नारनौल को उनके ऑनलाईन आवेदन SRN No.M0L-DQL-B81111 Dated 29-12-2023 के संदर्भ में भेजकर लिखा जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत रामवास को निर्देश देवे कि इन पेड़ों के बदले में पंचायत भूमि में 5 गुणा पौधारोपण करे।

2 वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 1540 दिनांक 05.01.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

नोट- उपरोक्त पांच पेड़ों की कुल अनुमानित कीमत 4740/-रु० (चार हजार सात सौ चालीस रुपये केवल) निर्धारित की जाती है।

PA

DDPO  
2/2/24

780P  
02/02/24

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़।

पृ. क्रमांक 776

/पंचायत दिनांक 08/02/24

उपरोक्त मूलरूप में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कनीना को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृते: उपायुक्त महेन्द्रगढ़,  
स्थित नारनौल।



प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र  
Permission letter by  
Concerned Divisional Forest Officer  
हरियाणा सरकार / Government of Haryana



हरियाणा भू-संरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब का अधिनियम II) की धारा-4 के अधीन अधिसूचित भूमि में वृक्षों की कटाई की अनुमति  
Permission for felling of trees in areas notified under general section-4 of Haryana Land and Preservation Act, 1900 (Punjab Act II of 1900).

नाम Name	आशिष कुमार Ashihs Kumar
पिता का नाम Father's Name	Surender Kumar
वर्तमान पता Current Address	Ddpo Office Narnaul
भूमि स्थान Land Location	Rambas, Mahendragarh (Haryana).
भूमि मापन Land Measurements	400(Meter)
खसरा/ प्लॉट नम्बर Khasra/ Plot Number	94

रेंज ऑफिसर का नाम  
Range Officer Name

Narender Kumar

Reference No. (SRN): M01-D01.B8H11

जारी करने की तिथि / Date of Issuance: 29-01-2024

जारी करने का स्थान / Place of Issuance: Mahendragarh

जारी करने वाला प्राधिकरण / Issuing Authority: Divisional Forest Officer (Rohtash Singh)



This is a Digitally Signed Certificate and does not require physical signature. The authenticity of this certificate can be verified from the verification link mentioned below

<https://164.100.137.243/eservices/mobileapp/verify/fores/M01D01B8H11>



प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र  
Permission letter by  
Concerned Divisional Forest Officer  
हरियाणा सरकार / Government of Haryana



हरियाणा भू-संरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब का अधिनियम II) की धारा-4 के अधीन अधिसूचित भूमि में वृक्षों की कटाई की अनुमति।  
Permission for felling of trees in areas notified under general section-4 of Haryana Land and Preservation Act, 1900 (Punjab Act II of 1900).

Species	Classwise number of trees							Under Size Trees	Total no. of trees	Total Volume (M3)
	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB			
Misc.	0	0	3	2	0	0	0	0	5	3.97
Total	0	0	3	2	0	0	0	0	5	3.97

जारी करने की तिथि / Date of Issuance: 29-01-2024  
जारी करने का स्थान / Place of Issuance: Mahendragarh  
जारी करने वाला प्राधिकरण / Issuing Authority: Divisional Forest Officer (Rohtash Singh)



This is a Digitally Signed Certificate and does not require physical signature. The authenticity of this certificate can be verified from the verification link mentioned below

<https://164.100.137.243/eservices/mobileapi/verify/forest/M0LDQLB8H1>



प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र  
Permission letter by  
Concerned Divisional Forest Officer  
हरियाणा सरकार / Government of Haryana



हरियाणा भू-परिष्ठा अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब का अधिनियम II) की धारा-4 के अर्धीन अधिसूचित भूमि में वृक्षों की कटाई की अनुमति-  
Permission for felling of trees in areas notified under general section-4 of Haryana Land and Preservation  
Act, 1900 (Punjab Act II of 1900)

Applicant Ashish Kumar located at village Rambas district Mahendragarh made  
a proposal to fell trees on this land with Khasra/ Plot number 198  
The report submitted by RFO, Narender Kumar dated 13-01-2024

CONDITIONS OF PERMIT

1. Only the numbered trees will be felled.
2. Trees to be felled will not be uprooted except in case of developmental works/ Individual plots.
3. No dragging of wood will be permitted.
4. Felling after sun set and before the sun rise will not be permitted.
5. No fire will be allowed.
6. No damage to unmarked trees will be caused during felling in the area and the owner will have to pay the compensation as determined by DFO for any such damage.
7. The owner of land shall be responsible for any illicit felling in the area and he will have to pay the compensation as determined by DFO for any such illicit felling.
8. No forest produce will be removed without a Rawana Challan from concerned Range Officer.
9. The permit is liable to be cancelled at any time if any violations of conditions of permit take place / facts given in the application for permit are found incorrect. The decision of DFO in this regard will be final.
10. The forest department does not hold any responsibility for distribution of sale proceeds among the owners of the land.
11. No separate permit for timber transit as per Indian Forest Act, 1927 is required within the territory of Haryana.
12. permission is Granted As Per Recommendation Of Dfo Subject To The Condition That The User Agency Will Plant 5 Times Number Of Plants I.e. 8x5=40 Plants And Submit The Land Plan



Date 29.01.2024  
Place Mahendragarh

Rohitash Singh  
(Divisional Forest Officer)

This is a Digitally Signed Certificate and does not require physical signature. The authenticity of this certificate can be verified from the verification url mentioned below

<https://164.100.137.143/verifier/mobiloadgovindia/Forest/N3E0R3TRVI>

पृ० क्रमांक

5752-53

दिनांक 30-01-2024

एक प्रति निम्न को:-

श्री आशीष कुमार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नारनौल को उनके ऑनलाईन आवेदन SRN No.N3E-ORG-TRVI Dated 28-12-2023 के संदर्भ में भेजकर लिखा जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत रामवास को निर्देश देते कि इन पेड़ों के बदले में पंचायत भूमि में 5 गुणा पौधारोपण करें।

2 वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 1539 दिनांक 05.01.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

नोट- उपरोक्त आठ पेड़ों की कुल अनुमानित कीमत 13259/-रु० ( तेरह हजार दो सौ उनसठ रुपये केवल) निर्धारित की जाती है।

PA

DDPO  
21/2/24

781P  
02/02/24

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़।

पृ. क्रमांक 777 /पंचायत दिनांक 08/2/24  
उपरोक्त मूलरूप में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कनीना को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृते: उपायुक्त महेन्द्रगढ़,  
स्थित नारनौल।



प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र  
Permission letter by  
Concerned Divisional Forest Officer  
हरियाणा सरकार / Government of Haryana



हरियाणा भू-परिष्ठा अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब का अधिनियम II) की धारा-4 के अधीन अधिसूचित भूमि में वृक्षों की कटाई की अनुमति।  
Permission for felling of trees in areas notified under general section-4 of Haryana Land and Preservation Act, 1900 (Punjab Act II of 1900).

Species	Classwise number of trees								Total no. of trees	Total Volume (M3)
	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	Under Size Trees		
Misc.	0	0	1	4	3	0	0	0	8	11.03
Total	0	0	1	4	3	0	0	0	8	11.03

जारी करने की तिथि / Date of Issuance: 29-01-2024  
जारी करने का स्थान / Place of Issuance: Mahendragarh  
जारी करने वाला प्राधिकरण / Issuing Authority: Divisional Forest Officer (Rohitash Singh)



This is a Digitally Signed Certificate and does not require physical signature. The authenticity of this certificate can be verified from the verification link mentioned below

<https://164.100.137.243/serVICES/mobileapi/verify/forest/N3EORGTRV1>



प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र  
Permission letter by  
Concerned Divisional Forest Officer  
हरियाणा सरकार / Government of Haryana



हरियाणा भू-पूरकता अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब का अधिनियम II) की धारा-4 के अर्थात् अधिसूचित भूमि में वृक्षों की कटाई की अनुमति  
Permission for felling of trees in areas notified under general section-4 of Haryana Land and Preservation Act, 1900 (Punjab Act II of 1900)

नाम Name	आशीष कुमार Ashish Kumar
पिता का नाम Father's Name	Surender Singh Maan
वर्तमान पता Current Address	Ddpo Office Narnaul
भूमि स्थान Land Location	Rambas, Mahendragarh (Haryana),
भूमि माप Land Measurements	400(Merer)
खसरा/प्लॉट नम्बर Khasra/ Plot Number	198

वन अधिकारी का नाम  
Range Officer Name

Narendra Kumar

Reference No. (SRN): N3E-0RG-TRV1

जारी करने की तिथि / Date of Issuance: 29-01-2024

जारी करने का स्थान / Place of Issuance: Mahendragarh

जारी करने वाला प्राधिकरण / Issuing Authority: Divisional Forest Officer (Rohitash Singh)



This is a Digitally Signed Certificate and does not require physical signature. The authenticity of this certificate can be verified from the verification link mentioned below

<https://66.150.137.243/eservices/nobiloapi/verify/forest/N3E0RGTRV1>

ग्रामीण वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़ : मण्डल, महेन्द्रगढ़

फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़ ।

दूरभाष/फैक्स: +91 01285 220229, ई-मेल: dfomgarh@yahoo.co.in

क्रमांक: 1488

दिनांक: 12/1/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
दक्षिणी परिमण्डल,  
गुरुग्राम।

विषय

पेड काटने की अनुमति बाबत गैर गुमकीन रास्ता खरास नम्बर 198- ग्राम पंचायत  
रामबास।

सन्दर्भ

SRN No. N3E-ORG-TRV1 दिनांक 28.12.2023।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपकी सेवा में लिखा जाता है कि उक्त केस में वन राजिक  
अधिकारी, महेन्द्रगढ़ द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण उपरान्त मौके की रिपोर्ट निम्नानुसार  
आपकी सेवा में भेजी जाती है:-

- 1 नोटिफाईड सैक्शन 4 व 5 का क्षेत्र नहीं है।
- 2 एफ0 सी0 ए0 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- 3 10 वर्षीय फेलिंग प्रोग्राम अनुसार रामबास वर्ष 2028-29 में कटाई हेतु देय है।
- 4 उक्त केस में वृक्ष ग्राम पंचायत रामबास के रास्ता निर्माण में बाधक है।
- 5 यह वृक्ष वन विभाग के नहीं हैं।
- 6 उक्त केस में बाधित वृक्षों की कटाई की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
- 7 जी.पी.एस. कोर्डिनेट 28.270774 N 76.311499 E

### ABSTRACT

Species	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	Total	Volume
Misc	0	0	1	4	3	0	0	8	11.03
Total	0	0	1	4	3	0	0	8	11.03

वन मण्डल अधिकारी, प/स  
महेन्द्रगढ़  
08/1/24  
dfomgarh

# वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय:- वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़  
फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़  
दूरभाष:- 01285-220173 ई-मेल rfomgarh@yahoo.co.in

8/1/24  
05-01-24

- 1539

दिनांक: - 05-01-2024

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़।

ई-सर्विस (SRN -N3E-0RG-TRV1) Date :- 28-12-2023) Gram Panchyat Rambass  
वारे।

आपका पत्र क्रमांक 5291 दिनांक 03.01.2024

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना निम्न प्रकार से है:-

एफ0सी0ए0 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

नॉटिफाइड, सेक्शन 4 व 5 का क्षेत्र नहीं है।

निर्धारित प्रपत्र एनैक्चर -2 साथ सलंगन है।

अरावली पौधारोपण का क्षेत्र नहीं है।

गैर गुमकीन पहाड़ नहीं है।

बाधक वृक्षों की फोटो ग्राफ व मार्किंग सूची साथ सलंगन है।

GPS Coordinates - 28.270774 76.311499 है।

यूजर एजेंसी ने बताया कि करवाए जाने वाले तीन गुणा पौधारोपण का शपथ - पत्र

आनलाईन आवेदन के साथ सलंगन किया हुआ है।

वन राजिक अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़।

24088  
5/1/2024

गांव रामवास के पंचायती रास्ते में बाघक हरे खड़े वृक्षों की मार्किंग नूना नरवावास  
बीट , भोजावास ब्लॉक माह 01/2024

Sr. No.	Species	Girth	Class	Volume	Condition	Remarks
1	Neem	175	IIB	1.98	GS	
2	Tortilus	147	IIA	1.13	GS	
3	Jand	130	IIA	1.13	GS	
4	Jand	157	IIB	1.98	GS	
5	Jand	148	IIA	1.13	GS	
6	Kikar	177	IIB	1.98	GS	
7	Tortilus	103	III	0.57	GS	
8	Jand	149	IIA	1.13	GS	

## ABSTRACT

Name of Species	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	TOTAL	VOLUME
Shisham	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kikar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Misc.	0	0	1	4	3	0	0	8	11.03
Total	0	0	1	4	3	0	0	8	11.03

तरदीक किया जाता है कि उपरोक्त मार्किंग सरपंच प्रतिनिधि को मौके पर साथ लेकर बनाई गई है। वृक्षों की किल्ल व लपेट मौका अनुसार सही व दुरुस्त है। इसके अतिरिक्त कोई भी पेड़/वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाया जाना है तो आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा।

Sign  
User Agency

रमेश देवी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत, रामवास  
बिहड़ कनीना (म/गठ)

Ashok  
Forest Guard  
Bhojawas Beat

Harjambh  
Forester  
Bhojawas Block

Ramesh  
Range Forest Officer  
Mahendergarh,

GS  
Divisional Forest Office  
Mahendergarh  
01/01/24

प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र  
 Permission letter by  
 Concerned Divisional Forest Officer  
 हरियाणा सरकार / Government of Haryana



हरियाणा भू संरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का एजेंट का अधिनियम II) की धारा 4 के अधीन प्रयोगिता भूमि में वृक्षों की कटाई की अनुमति।  
 Permission for felling of trees in areas notified under general section 4 of Haryana Land and Preservation Act, 1900 (Punjab Act II of 1900)

नाम / Name: आशीष कुमार / Ashish Kumar

व्यक्ति का नाम / Name's Name: सुरेन्द्र सिंह मान / Surender Singh Man

पता / Address: Ddpo Office Narnaul  
 Rambas Mahendragarh (Haryana).

कुल माप / Total Measurements: 100 Meter

खसत पत्र संख्या / Khastat Plot Number: 198

अधिकारी का नाम / Name of the Officer: Narender Kumar

सर्टिफिकेट नंबर (SRO) - N3E-010-TRV1  
 जारी की तिथि / Date of Issuance: 29.01.2024  
 जारी करने वाला / Place of Issuance: Mahendragarh  
 अधिकारी का पता / Issuing Authority: Divisional Forest Officer (Rohitash Singh)



This is a Digital, Signed Certificate and does not require physical signature. The authenticity of this certificate can be verified from the verification link mentioned below

<https://164.160.137.213/services/mobileapp/verify/for/ost/N3E0RC/TRV1>

प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा पत्र  
 Permission letter by  
 Concerned Divisional Forest Officer  
 हरियाणा सरकार / Government of Haryana



परिचालन अधिनियम, 1900 (1900 का बंजर कानून अधिनियम II) की धारा-4 के अधीन प्रमाणित भूमि में वृक्षों की कटाई की अनुमति  
 permission for felling of trees in areas notified under general section-4 of Haryana Land and Preservation  
 Act, 1900 (Punjab Act II of 1900).

क्र.सं.	Classwise number of trees						Under Size Trees	Total no. of trees	Total Volume (M <sup>3</sup> )
	V	IV	III	IIA	IIB	IA			
0	0	0	1	4	3	0	0	8	11.03
0	0	0	1	4	3	0	0	8	11.03



29.01.2024

प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र  
Permission letter by  
Concerned Divisional Forest Officer  
हरियाणा सरकार / Government of Haryana



हरियाणा भू-संरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब का अधिनियम II) की धारा-4 के अधीन अधिसूचित भूमि में वृक्षों की कटाई की अनुमति।  
Permission for felling of trees in areas notified under general section-4 of Haryana Land and Preservation Act, 1900 (Punjab Act II of 1900).

Applicant Ashish Kumar located at village Rambas district Mahendragarh made  
a proposal to fell trees on this land with Khasra/ Plot number 198  
the report submitted by RFO, Narender Kumar dated 13-01-2024.

CONDITIONS OF PERMIT

1. Only the numbered trees will be felled.
2. Trees to be felled will not be uprooted except in case of developmental works/ Individual plots.
3. No dragging of wood will be permitted.
4. Felling after sun set and before the sun rise will not be permitted.
5. No fire will be allowed.
6. No damage to unmarked trees will be caused during felling in the area and the owner will have to pay the compensation as determined by DFO for any such damage.
7. The owner of land shall be responsible for any illicit felling in the area and he will have to pay the compensation as determined by DFO for any such illicit felling.
8. No forest produce will be removed without a Rawana Challan from concerned Range Officer.
9. The permit is liable to be cancelled at any time if any violations of conditions of permit take place / facts given in the application for permit are found incorrect. The decision of DFO in this regard will be final.
10. The forest department does not hold any responsibility for distribution of sale proceeds among the owners of the land.
11. No separate permit for timber transit as per Indian Forest Act, 1927 is required within the territory of Haryana.
12. permission Is Granted As Per Recommendation Of Dfo Subject To The Condition That The User Agency Will Plant 5 Times Number Of Plants I.e. 8x5=40 Plants And Submit The Land Plan.



Date: 29-01-2024

Place: Mahendragarh

Rohtash Singh  
(Divisional Forest Officer)

This is a Digitally Signed Certificate and does not require physical signature. The authenticity of this certificate can be verified from the verification link mentioned below

<https://164.100.137.243/services/mobileapi/verify/forest/N3E0RGTRV1>

एक प्रति निम्न को:-

1 श्री आशीष कुमार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नारनौल को उनके ऑनलाईन आवेदन SRN No.NGE-ORG-TRV1 Dated 28-12-2023 के संदर्भ में भेजकर लिखा जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत रामबास को निर्देश देवे कि इन पेडों के बदले में पंचायत भूमि में 5 गुणा पौधारोपण करें।

2 वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 1539 दिनांक 05.01.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

उपरोक्त आठ पेडों की कुल अनुमानित कीमत 13259/-रु० ( तेरह हजार दो सौ उनसठ रुपये केवल) निर्धारित की जाती है।

वन मंडल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़  
29/1/24  
29.01.24.

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़ वन मण्डल, महेन्द्रगढ़

फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़ ।

दूरभाष / फैक्स: +91 01285 220229, ई-मेल: dfomgarh@yahoo.co.in

क्रमांक: 1487

दिनांक: 12-01-2024

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक,  
दक्षिणी परिमण्डल,  
गुरुग्राम।

विषय

पेड काटने की अनुमति बाबत गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 94- ग्राम पंचायत रामबास।

सन्दर्भ:

SRN No. MOL-DQL-B8HH दिनांक 29.12.2023।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपकी सेवा में लिखा जाता है कि उक्त केस में वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़ द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण उपरान्त मौके की रिपोर्ट निम्नानुसार आगकी सेवा में भेजी जाती है:-

- 1 नोटिफाईड सैक्शन 4 व 5 का क्षेत्र नहीं है।
- 2 एफ0 सी0 ए0 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- 3 10 वर्षीय फैंलिंग प्रोग्राम अनुसार रामबास वर्ष 2028-29 में कटाई हेतु देय है।
- 4 उक्त केस में वृक्ष ग्राम पंचायत रामबास के रास्ता निर्माण में बाधक है।
- 5 यह वृक्ष वन विभाग के नहीं है।
- 6 उक्त केस में बाधित वृक्षों की कटाई की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
- 7 जी.पी.एस. कोर्डिनेट 28.271734 N 76.313857 E

### ABSTRACT

Species	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	Total	Volume
Misc	0	0	3	2	0	0	0	5	3.97
Total	0	0	3	2	0	0	0	5	3.97

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़  
08/01/24  
08/01/2024

## वन विभाग, हारियाणा सरकार

Sale  
28/1/24

कार्यालय:- वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़  
फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़  
दूरभाष:- 01285-220173 ई-मेल rfomgarh@yahoo.co.in

क्रमांक: - 1540

दिनांक: - 05-01-24

श्री. ग.

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़।

विषय

ई-सर्विस (SRN - M0L-DQL-B8HH Date :- 29-12-2023) Gram Panchyat  
Rambass बारे।

संदर्भ

आपका पत्र क्रमांक 5196 दिनांक 01.01.2024

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में गांगी गई सूचना निम्न प्रकार से है:-

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.

एफ0सी0ए0 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

नेटिफाइड, सैक्शन 4 व 5 का क्षेत्र नहीं है।

निर्दिष्ट प्रपत्र एनैक्तर --2 साथ सलग्न है।

असदली पौधारोपण का क्षेत्र नहीं है।

गैर मुगकीन पहाड़ नहीं है।

बाधक वृक्षों की फोटो ग्राफ व मार्किंग सूची साथ सलग्न है।

GPS Coordinates - 28.271734 76.313857 है।

यूजर एजेंसी ने बताया कि करवाए जाने वाले तीन गुणा पौधारोपण का शपथ पत्र

आनलाईन आवेदन के साथ सलग्न किया हुआ है।

वन राजिक अधिकारी  
महेन्द्रगढ़।

5196  
28/1/24

गांव रामबास के पंचायती रास्ते में बाधक हरे खड़े वृक्षों की मार्किंग सूची भोजावास  
बीट , भोजावास ब्लॉक माह 01/2024

Sr. No.	Species	Girth	Class	Volume	Condition	Remarks
1	Jhinjha	111	III	0.57	GS	
2	Sahtoot	124	IIA	1.13	GS	
3	Neem	103	III	0.57	GS	
4	Rohera	107	III	0.57	GS	
5	Jand	145	IIA	1.13	GS	

### ABSTRACT.

Name of Species	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	TOTAL	VOLUME
Shisham	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Misc.	0	0	3	2	0	0	0	5	3.97
Total	0	0	3	2	0	0	0	5	3.97

तस्दीक किया जाता है कि उपरोक्त मार्किंग सरपंच प्रतिनिधि को मौके पर साथ लेकर बनाई गई है। वृक्षों की किस्म व लूपेट मीजा अनुसार सही व दुरुस्त है। इसके अतिरिक्त कोई भी पेड/वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाया जाता है तो आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा।

सरोज देवी

सरपंच

पंचायत, रामबास  
(Village Rambas)

Asok  
Forest Guard  
Bhojawas Beat

Haijomp  
Forest Officer  
Bhojawas Block


Divisional Forest Officer,  
Mahendergarh

श

8/12/24

Range Officer  
Mahendergarh,

Latitude: 28.271734  
Longitude: 76.313857  
Elevation: 256.13±7 m  
Accuracy: 5.7 m  
Time: 05:01:2024 12:17





111



प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र  
Permission letter by  
Concerned Divisional Forest Officer  
हरियाणा सरकार / Government of Haryana



हरियाणा भू-पूरिषण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब का अधिनियम II) की धारा-4 के अधीन अधिरूचित भूमि में वृक्षों की कटाई की अनुमति।  
Permission for felling of trees in areas notified under general section-4 of Haryana Land and Preservation Act, 1900 (Punjab Act II of 1900).

Applicant Ashihs Kumar located at village Rambas district Mahendragarh made a proposal to fell trees on this land with Khasra/ Plot number 94  
The report submitted by RFO, Narender Kumar dated 13-01-2024.

CONDITIONS OF PERMIT

1. Only the numbered trees will be felled.
2. Trees to be felled will not be uprooted except in case of developmental works/ Individual plots.
3. No dragging of wood will be permitted.
4. Felling after sun set and before the sun rise will not be permitted.
5. No fire will be allowed.
6. No damage to unmarked trees will be caused during felling in the area and the owner will have to pay the compensation as determined by DFO for any such damage.
7. The owner of land shall be responsible for any illicit felling in the area and he will have to pay the compensation as determined by DFO for any such illicit felling.
8. No forest produce will be removed without a Rawana Challan from concerned Range Officer.
9. The permit is liable to be cancelled at any time if any violations of conditions of permit take place / facts given in the application for permit are found incorrect. The decision of DFO in this regard will be final.
10. The forest department does not hold any responsibility for distribution of sale proceeds among the owners of the land.
11. No separate permit for timber transit as per Indian Forest Act, 1927 is required within the territory of Haryana.
12. permission is granted as per recommendation of Dfo subject to the condition that the user agency will plant 5 times number of plants i.e. 5x5=25 plants and submit the land plan.



Date: 29-01-2024  
Place: Mahendragarh

Rohtash Singh  
(Divisional Forest Officer)

This is a Digitally Signed Certificate and does not require physical signature. The authenticity of this certificate can be verified from the verification link mentioned below

<https://164.100.137.243/eservices/mobileapi/verify/forest/M0LDQLB8HH>

5750-51

दिनांक 30-01-2024

एक प्रति निम्न को:-

श्री आशीष कुमार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नारनौल को उनके ऑनलाइन आवेदन SRN No.M0L-DQL-B8HH Dated 29-12-2023 के संदर्भ में भेजकर लिखा जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत रामबास को निर्देश देवे कि इन पेडों के बदल में पंचायत भूमि में 5 गुणा पौधारोपण करें।

वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 1540 दिनांक 05.01.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

उपरोक्त पांच पेडों की कुल अनुमानित कीमत 4740/-रु० (चार हजार सात सौ चालीस रुपये केवल) निर्धारित की जाती है।

वन सप्लाइ अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़  
29/01/24..

कार्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामबास (3895) महेंद्रगढ़

यादी क्रमांक :-124/24

दिनांक:- 19/11/2024

सेवा में,

श्रीमान उपमंडल अधिकारी

कनीना

विषय :- VED PRAKASH & ANR VERSUS STATE OF HARYANA IN VILLAGE RAMBASS

श्रीमान जी

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके यादी क्रमांक 1166/STENO दिनांक 13/11/2024 व BEO कनीना के यादी क्रमांक E-1/2024/1748 दिनांक 14/11/2024 के अनुसार संबंधित शिकायत का रिकॉर्ड विवरण सहित प्रति आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामबास के प्रांगण में विद्यालय भवन में कमरों की नीव के साथ खड़े खतरनाक AILANTHUS (ऐलेन्थस) वृक्षों को कटवाने की अनुमति हेतु दिनांक 14/12/2022 को पत्र क्रमांक 502 के अनुसार वनमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़ को आवेदन किया गया था वनमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़ के पत्र क्रमांक 6912 दिनांक 06/02/2023 के अनुसार 07 AILANTHUS (ऐलेन्थस) वृक्षों को काटने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी स्कूल प्रबंधन कमेटी ग्राम पंचायत ग्राम वासी एवं स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति में बोली लगवाई गई सर्वाधिक बोली लगाने वाले अशोक कुमार श्री माँगे राम गाँव बहाला को 44, हजार छह सौ रुपया में नीलामी की गई स्कूल प्रबंधक कमेटी ने छात्र हित के लिए उपरोक्त राशि से विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए ड्यूल डेस्क की मरम्मत करवाने व नयी पलाई बोर्ड लगवाने बारे खर्च की सहमति हुई जिसका प्रस्ताव संलग्न है ड्यूल डेस्क की मरम्मत करवाने व नयी पलाई बोर्ड लगवाने का कार्य बनी सिंह मिस्त्री पुत्र श्री नरेश कुमार गाँव रामबास जिला महेंद्रगढ़ के द्वारा किया गया और उससे रसीद प्राप्त कर ली जोकि साथ संलग्न है कटवाए गए हैं वृक्षों की जगह फल फूल व छायादार लगभग 100 पेड़ पौधे लगवाए गए ताकि पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहे और विद्यालय प्रांगण हरा भरा रहे

रिपोर्ट आपकी सेवा में आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है

Attached:-

1. वन मंडल अधिकारी का स्वीकृति पत्र
2. SMC का प्रस्ताव
3. बोली दाता एवं बोली का विवरण
4. ड्यूल डेस्क की मरम्मत करवाने व नयी पलाई बोर्ड लगवाने के खर्च की रसीद

*dyad*  
PRINCIPAL 19.11.24  
CSS Rambass (3895)  
Kanina (M/Garh)

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़ वन मण्डल, महेन्द्रगढ़  
फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़ ।

दूरभाष / फ़ैक्स: +91 01285 220229, ई-मेल: dfomgarh@yahoo.co.in

क्रमांक: .....

दिनांक: .....

सेवा में,

प्राचार्य,  
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,  
कनीना, जिला महेन्द्रगढ़ ।

विषय: स्कूल बाऊंडरी के खतरनाक पेड़ों को हटवाने बारे ।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्रमांक 502/22 दिनांक 14.12.2022.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, की बाऊंडरी में खतरनाक वृक्षों को हटवाने की स्वीकृति बारे, वन राजिक अधिकारी, महेन्द्रगढ़, ने मार्किंग सूची इस कार्यालय में भेजी है वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार से है ।

ABSTRACT

Name of Species	V	IV	III	IIA	IIB	IA	IB	TOTAL	VOLUME
Ailnthus	0	3	1	2	0	1	0	07	6.07
Total	0	3	1	2	0	1	0	07	6.07

उपरोक्त वृक्षों की कुल अनुमानित कीमत 7185/-रूपयें (सात हजार एक सौ पित्यासी रूपयें) निर्धारित की जाती है । इन वृक्षों की कटाई का कार्य आप अपने स्तर पर करें तथा इन वृक्षों की एवज में तीन गुणा पौधारोपण करवाना सुनिश्चित करें ।

पृ० क्रमांक :

6912

दिनांक : 06-02-23

—हस्ता—  
वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़ ।

एक प्रति वन राजिक अधिकारी महेन्द्रगढ़, को उनके पत्र क्रमांक 1177 दिनांक 20.01.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

वन मण्डल अधिकारी,  
महेन्द्रगढ़ ।

R-1573  
7/2/2023



निर्णय लिया गया ताकि वर्षा ऋतु में ही उनके स्थान पर नए पेड़ बोधे जा सकें। ताकि विद्यालय प्रांगण स्वच्छ व सुन्दर दिखाई दे व पर्यावरण को कोई हानि ना हो।

(2) विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए Dual Desk की व्यवस्था नहीं है अतः नीलामी के प्राप्त राशि से पुराने व टूटे-फूटे Dual Desk की मरम्मत करवाकर बैठने योग्य बनवाए जाए ताकि विद्यार्थी आरामदायक रूप से पढ़ाई कर सकें।

(3) विद्यार्थियों के नामांकन बढ़ाने हेतु DMC सदस्यों व ग्राम पंचायत के सदस्यों से घर घर जाकर परिचय ले मिलकर स्थान सदस्यों का सहयोग करने का निर्णय लिया गया। इसके उपरान्त प्राचार्य महोदय ने सभी का आभार व्यक्त किया व बैठक का समापन किया।

1.	सुनीता (उपधान)	सुनीता	<i>Alinad</i> PRINCIPAL
2.	शमशेर (उपधान)	<i>Shamsher Singh</i>	CESS Rambass (3035 Kanina (N/Garh)
3.	वांश सिंह (सदस्य)	<i>Chand Singh</i>	
4.	पवीन (सदस्य)	पुष्पिका उपाध	
5.	वनीता (SC कार्यकर्ता)	शीला	
6.	वीना (सदस्य)	वीना	
7.	सुन्दरलाल (Ex Senior wing सदस्य)	<i>Sunder Lal</i>	<i>Atteshal</i>
8.	केशवसारा साहव	<i>Keshav Saha</i>	<i>Alinad</i> PRINCIPAL
9.	रजनी उपाध	<i>Rajni</i>	CESS Rambass (3035 Kanina (N/Garh)
10.	Sushil Kumar T-57	<i>Sushil Kumar</i>	
11.	सरीश कुमार	<i>Sarish Kumar</i>	रमरोज देवी
12.	मनोज कुमार	<i>Manoj Kumar</i>	समय ग्राम पंचायत, रामदास
13.	मुकेश कुमार	<i>Mukesh Kumar</i>	खण्ड कनीना (म/गढ)

आज दिनांक 22-08-2023 को रांठवां व मीठ वि० ①  
 रामवास के प्रांगण में कार्यालय वन मंडल कार्यकारी  
 मंडल के पत्र क्रमांक 8912 दिनांक 06-02-2023  
 के अनुसार स्कूल बाउंडरी में खतरनाक Allevanthus  
 पेड़ों को कटवाने वाले स्वीकृति उपरोक्त 07 (सात)  
 Allevanthus के वृक्षों को कटाई हेतु मुनादी उपरोक्त  
 निम्न लिखित बोलीदारों उपस्थित हुए। नीलामी  
 के दौरान समस्त DMC समेती, ग्राहक पंचायत, ग्राहक वार  
 एवं स्टाल सदस्यों की मौजूदगी में विधायक  
 परिसर में बोली लगावाई गई जिसके सभी  
 की सहमति से सर्वाधिक बोलीदारों को बोली छोड़ने  
 का निर्णय लिया गया व बोलीदारों को हिदायत  
 दी गई कि कटाई के दौरान विधायक भवन को कोई  
 क्षति नहीं होनी चाहिए अन्यथा दीक करवाने की  
 जिम्मेवारी होगी। उपरोक्त बोलीदारों को बोलीधारक  
 करने से पहले 2000 (दो हजार रूपए) जमानत वाशी के  
 रूप में जमा करवानी होगी ताकि बोली डायित रूप से  
 लगे सकें।

1. ओमप्रकाश ड/० सरदार सिंह  
 गांव रामवास

ओमप्रकाश

2. राजेंद्र ड/० श्रीनल्लूवाम मिस्त्री  
 गांव - रामवास

Rekha

3. नरेश कुमार ड/० श्री दुलीप चंद  
 गांव - रामवास

नरेश कुमार

4. सतीश ड/० श्री अजर सिंह  
 गांव - कंकराता

सतीश

5. अशोक कुमार ड/० गोपीराम  
 गांव - लंदाला

Ashok

6. अनिल कुमार ड/० चर्मपाल  
 गांव मोड़ी

Anil Kumar

Date: / /

उपरोक्त सभी की उपस्थिति में अशोक कुमार मुपुगु जी और शंभू राम गांव बहाला न न (सत) Allenthus पेड़ा की सार्वधिक बोली 44600/- (चवालीस हजार छह सौ रूपए केवल) लगाई। जिसका बाधा 22300/- रूपए बनता है। सभी की सहमति से इसी बोली को अंतिम बोली मानते हुए अशोक कुमार के नाम से बोली छोड़ दी गई और प्राप्त राशी के लिए उपभोग करने हेतु SMC, ग्राम पंचायत एवं स्ट्राफ सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दी गई जिसकी निगरानी में पेड़ा की कटाई करवाई जाए ताकि विद्यार्थ्य भवन को कोई क्षति ना पहुँचे और प्राप्त राशी से विद्यार्थ्य के बँठने के लिए फनीचर (Dual Peak) की मरम्मत एवं नए प्लाईवर्ड लगवाए जाएं ताकि विद्यार्थ्य के बँठने की समुचित व्यवस्था हो सके और पढ़ाई सुचारु रूप से चल सके।

1. सुनीता (SMC प्रधान) सुनीता Sisw
2. शमशेर (उपप्रधान) Shamsheer Singh
3. वेदप्रकाश साहव ~~A Yadav~~
4. सुन्दरमाल साहव ~~Shyam~~ Principal  
PRINCIPAL
5. ~~Sevice Men SMC सदस्य~~ PRINCIPAL
6. वीना सदस्य SMC वीना PRINCIPAL
7. प्रदीप SMC सदस्य प्रदीप PRINCIPAL
8. याद सिंह सदस्य SMC Chander Singh PRINCIPAL
9. शीला देवी सदस्य SMC शीला PRINCIPAL
10. सशील कुमार PRINCIPAL
11. अशोक सिंह P.T. ~~Shyam~~ PRINCIPAL
12. मुखेश ~~Shyam~~ PRINCIPAL

PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL

PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL

PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL  
PRINCIPAL

रसीद

(4)

मैंने जायें शं. वं. मां. विं. रामदास खण्ड - कर्ना  
 जिला महेन्द्रगढ़ से 64 Dual Desk का Water Proof  
 पीपी डिस्क का 18 mm लम्बाई का खर्चा  
 44600 रुपये (- पचास हजार छः सौ रुपये)  
 प्राप्त किन्ने जिसका आधा 22300 रुना है  
 जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Memre Particular	NO.	Rate	Total
Dual Desk smaller	33	600/- पीपी डिस्क	19800
Dual Desk Big	31	800/- पीपी डिस्क	24800

TOTAL 64 = 44600/-  
 रुपये मात्र

अर्थात्  
 Dual रसीद जिसके दो हैं नाकी समय पर प्राप्त हुआ है  
 (अभिमान)

PRINCIPAL  
 P.O. Ramdas (3895)  
 Karina (M/Garh)



1. सुनीता (SMC प्रधान) रामदास
2. Shenghar Singh (उपप्रधान) SMC
3. A. Yadav के. प्रकाश सिंह
4. Jyadan सुन्दर लाल साहू  
 Ex service man
5. बीना (सदस्य SMC) बीना

9813716490  
 VPO रामदास  
 मो. 9813716490  
 श्री. रामदास  
 PRINCIPAL  
 P.O. Ramdas (3895)  
 Karina (M/Garh)



<p>2) बौद्ध धर्म - संस्कृत में</p>	<p>Sho / form - का निर्माण</p>	<p>1</p>
<p>3) इस अर्थ में 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>संस्कृत शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>2</p>
<p>4) 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>संस्कृत शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>3</p>
<p>5) 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>संस्कृत शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>4</p>
<p>6) 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>संस्कृत शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>5</p>
<p>7) 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>संस्कृत शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>6</p>
<p>8) 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>संस्कृत शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>7</p>
<p>9) 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>संस्कृत शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>8</p>
<p>10) 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>संस्कृत शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>9</p>
<p>11) 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>संस्कृत शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।</p>	<p>10</p>

Perh  
Apost







# वन अपराध रिपोर्ट

वन विभाग, हरियाणा सरकार

098

FOR Book No. 0593

FOR No. ....

वन मण्डल	महेन्द्रगढ़				
रेज/ब्लॉक/घाट	महेन्द्रगढ़, भांजावाला, भांजावाला				
गैज/जगह का नाम	पंचायत भूमी राखनवास				
FOR No. (Date, Day & Time)	0593/098 31/07/24				
रिपोर्ट जारी करने वाले का नाम	अशोक कुमार				
अपराध की जानकारी का स्रोत	स्वतंत्र ज्ञान/पड़ोसी द्वारा/शिकायत				
अपराध होने के तारीख/दिन/समय	दरिद्रता				
ज्ञान अधिकारी का नाम व पद	नहीं यदि हा तो पद नाम				
अपराध/घटना का विवरण संलग्न	PLPA-1900 संख्या 4				
उल्लंघना किया गया अधिनियम	PLPA SEC 4				
भारतीय वन अधिनियम 1927					
वन्य प्राणी ( संरक्षण ) अधिनियम 1972					
पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900					
भारतीय दण्ड संहिता					
अपराधी का विवरण	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता
	पूकारन	श्री खरदार सिंह		रवाली	V.P.O राखनवास जिला - महेन्द्रगढ़
जहां वन उपज का विवरण	प्रजाति	किम्म/साइज	संख्या	मूल्य	मुआवजा गणित
जहां दौकल का विवरण	प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं०	गंग	मॉडल	उत्पादन वर्ष
औजार/हथियार					
अन्य, यदि कोई हो					
सही तौर पर चिह्नित करें	नजदी-नक्शा जो 0.500 मीटर 0 मीटरिंग सहित	संलग्न किया है/तैयार नहीं किया गया			यदि हां तो पृष्ठ संख्या
	फोटोग्राफ	संलग्न/तैयार नहीं किया गया			
	विडियोग्राफी	संलग्न/तैयार नहीं किया गया			

R.O.A.C.

*(Signature)*

घाट इन्चार्ज *(Signature)*

मुखवीर/ शिकायतकर्ता/ गवाह के हस्ताक्षर/ अंगुष्ठ का निशान

दिनांक

9

गुजराती रामबाई आजा वन विभाग के चर्मचाली के  
 साथ पिहारी डा. पुनीनाल के घर से आमपुकारा डा.  
 रामचंद्र के खेत के रस्ते का मौका मुआवजा करवाया जिसमें  
 रस्ते के साथ गाँव की पंचायती गूमि लगाया। एड 2.5 मील  
 का भी मौका मुआवजा कराया। जिसमें बीक गाम पंचायत  
 की बीबी लगाकर लगभग 35 फीट की दूरी पाए गए।  
 इसके अतिरिक्त अशोक कुमार डा. रामचंद्र के घर से  
 गजोदर डा. हरिहर के गूमि पास रूड के रस्ते पर  
 गाम पंचायत द्वारा बीबी लगाकर कुल 12 फीट  
 की दूरी पाए गए। इसके अलावा हनुमान जी  
 के मन्दिर के पास में कुल 4 फीट गाम पंचायत  
 द्वारा बीबी लगाकर दिये गए थे।

सिवासेर सिंह डा. अशोक सिंह  
 9416993952

अपुकारा, रामचंद्रगाम  
 9416151357

रामचंद्रगाम  
 949659/574

दिनांक 31/07/24 को शिकायत  
 श्री विजय सिंह व शिकायत की द्वारा कैप्टनजी विजय सिंह  
 की साथ लोकर चटनास्थल ग्राम पंचायत की हरिनन्दन चौपाल  
 कि रिश्ता शिकायत नामा चौपाल की टहिले विधि हुई की  
 नाम जोल ल हमारे प्यार पास पास के लीगी से गुजरा  
 पं 3 पेड नाम व । लोहरावा । शिकायत का पेड ऊपर  
 की जानकारी प्राप्त हुई । पेड टहिले लगाने से पहले  
 लीगी से पूछताछ करने पर मुलाजिम का नाम धनराज  
 लीगी खाली के नाम से हुई । दीर्घी के जिला  
 0593 दिनांक 31/07/24 का पास की गई व शिकायत  
 लीगी गडु अरिह जी विजय सिंह कैप्टन के दस्तावेज

शिकायत

विषय - प्री-पार्क - सी० बी० गी० गी० सी० सी० सी० (अस) के-सी-सी

दिनांक :-

वन मंडल आधीगाडी  
गहनपुराह.

— दिनांक

विषय :- स्कूल बार्डर्री के खतरनाक पेड़ों को हटवाने के  
प्रयत्न की  
उपरोक्त विषय के संबंध में आपकी अधीनस्थ है कि  
आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 09/2 दिनांक 06.02.2017  
के अंतर्गत स्कूल मैपस के अन्दर जीन पेड़ों की गणना  
सूची हटवाने बारे दी गई थी उन्ही खतरनाक पेड़ों को (Mithun)  
को चिह्नित किए गए थे को हटवाया गया है। उनकी  
जगह 5 (पाँच) गुना क्ल्यादार, फलदार व सजावटी  
पेड़ों को विद्यालय प्रांगण में लगाया गया है।  
धन्यवाद आपकी सेवा में प्रेषित है।

*Alyad*  
PRINCIPAL  
CSS Rambass (3855)  
Kanina (WGarh)

मुख्य शिक्षक: रा. क. प्रा. पा. रामवास (14961) कनीना  
दिनांक: 13/2024

दिनांक: 12.08.2024

विषय: स्कूल के गौरी पेड़ों को हटाने वगैरे।  
प्रतिमान जी: उपरोक्त विषय के संदर्भ में लिखा जाता है कि काफ़ी  
समय से पत्र क्रमांक 8914 दिनांक 08.02.2023 के कन्वर्शन  
के अन्तर्गत जिन पेड़ों की कटाई की गई थी, वह  
पंचायत रामवास की देख रेख में की गई थी,  
क्या या इसमें कोई खलफत नहीं है, जहाँ  
पंचायत द्वारा की गई। स्कूल के पेड़ों की  
बाड़ लगाना उस पौधे लगाए गए हैं। 15 पेड़ों की  
जिसमें दो सफ़ेद कौर तैरट पेड़ (Ailanthus)

सोहन कुमार  
HEAD TEACHER  
Govt. Girls Primary School  
Nambass (14961)  
Block - Kaniya (M. Garh)

The Sub Divisional Magistrate  
Kanina

From

Range Forest office  
Mahender Gush

Subject - Regarding filling P.C Case of FOR No-  
098/0593 dated- 31/07/24 in Civil Court  
Kanina related to Rambars Village.

Respected Sir,

W.r.t. to above stated subject, it  
is informed that on Rambars Village. FOR No-  
098/0593 dated 31/07/24 was issued against  
offender Parkash s/o Gorden Singh Vill-Rambars  
under Punjab Land Preservation Act-1900 Section 475  
and Prosecution Case has been filed against  
same offender in Civil Court Kanina bearing No-  
COMA/41/2024 and is under Consideration.

It is for your information & N/A.

~~CHANDER GUPT~~

CHANDER GUPT  
Range forest office  
Mahendergush

Date - 02/12/24